

परिशिष्ट-1
अधिभार अंको से सम्बन्धित प्रावधान

| श्रेणी | अधिभार श्रेणी का विवरण | अंक |
|---|---|--|
| 'A' | राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | |
| | 1. इन्डीविजुयल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा | |
| | (अ) प्रथम स्थान आने पर | 15 |
| | (ब) द्वितीय स्थान आने पर | 10 |
| | (स) तृतीय स्थान आने पर | 05 |
| | 2. टीम आइटम में | |
| | (अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर | 15 |
| | (ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर | 10 |
| | (स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर | 05 |
| | 3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में | |
| | (अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर | 10 |
| | (ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर | 10 |
| | नोट: 1) उपर्युक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। | |
| | 'B' | नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी |
| 1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | | 15 |
| या | | |
| 2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | | 10 |
| या | | |
| 3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | | 15 |
| या | | |
| 4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | 10 | |
| या | | |

| | | |
|---|---|----|
| | 5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को | 05 |
| | या | |
| | 6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को | 15 |
| | या | |
| | 7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को | 10 |
| | या | |
| | 8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को | 05 |
| | नोट: 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सदस्यता से है। | |
| 'C' | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या अविवाहित पुत्री को। | 15 |
| 'D' | ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो। | 15 |
| 'E' | ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. सा आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये) | 15 |
| 'F' | ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करन होगा) | 15 |
| नोट: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये है। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते है तो उसे अधिकतम 25 अंको का ही लाभ दिया जायेगा। खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट-गाइड/रोवर्स-रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दषा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हों। | | |